

शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर  
(सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर)

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679

फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanlibrary@gmail.com

वेबसाइट :- www.mgmmcindore.in

कमांक / /स्था / स्वशासी / SSH / 2022

इन्दौर ,दि.

// कार्यालयीन आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु सह चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों की अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात् एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दि. 17.11.2020 द्वारा प्रथमतः म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रकाशित विज्ञापन कमांक 17624/स्था/अवि/2021 दिनांक 23.10.2021 के तारतम्य में म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभागायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इन्दौर से अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित निम्नलिखित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर में अनन्तिम रूप से (प्रोवीजनल) पदस्थ किया जाता है :-

NO	NAME OF CANDIDATE	SELECTION CATEGORY	CANDIDATES CATEGORY	POST	PAY SCALE
1	SUKHENDRA SAKET	UR	SC	LAB TECHNICIAN PATHOLOGY	5200-20200+2800
2	PUSHKAR PRASAD VERMA	UR	SC	X-RAY TECHNICIAN	5200-20200+2800
3	JYOTI SINGH	OBC	OBC	X-RAY TECHNICIAN	5200-20200+2800
4	SURENDRA KUMAR MOURYA	ST	ST	DIALYSIS TECHNICIAN	5200-20200+2800

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
- म.प्र.शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-9/3/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5/1/2005/नियम/चार,दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
- आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- सह चिकित्सकीय संवर्गों की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- पर की गई है उनकी 03 माह पश्चात् परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त किया जावेगा।
- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दि.12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिब/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
- आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेंगी।
- एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
- उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण-पत्र, उपाधियों एवं अन्य प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी।
- संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद् का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

निरंतर .....2/...

17. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
19. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्र, की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रु.3/- का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।?
20. आपको न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएँ देने हेतु अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपको 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
21. संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11

(डॉ. संजय दीक्षित)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,  
(स्वशासी संस्था), इन्दौर

इन्दौर, दि. 28/08/22

पृ. क्रमांक / 12688-94 / स्था / स्वशासी / SSH / 2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इन्दौर।
4. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर।
5. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय धार रोड इन्दौर।
6. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. कार्यालय आदेश नस्ति।

(डॉ. संजय दीक्षित)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,  
(स्वशासी संस्था), इन्दौर